

पत्रांक-5/स.गू. बोकारो (ESL)-80/2016-4537 (5)/रा.  
झारखण्ड सरकार  
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

उदय प्रताप, भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,  
बोकारो।

राँची, दिनांक- 30-10-18

विषय:-

बोकारो जिलान्तर्गत मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील द्वारा अवैध रूप से धारित गैर मजरूआ भूमि/गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि की राशि सरकारी कोषागार में जमा करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड द्वारा उनके पत्र दिनांक-25.10.18 (प्रति संलग्न) द्वारा 200 एकड़ एवं पत्र दिनांक-03.10.2018 द्वारा 350 एकड़ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। पत्र में उल्लेखित है कि- "We had also expressed our willingness to apply for revised Environmental clearance and forest clearance and were ready to regularise all issues without any prejudice and under protest. The Company was further advised to seek forest clearance and regularise the land parcels under its possession." साथ ही बोकारो जिलान्तर्गत ESL की भूमि की विवरणी/नक्शा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आलोक में अनुरोध है कि ESL द्वारा अवैध रूप से धारित गैरमजरूआ भूमि/जंगल-झाड़ी भूमि के लीज बंदोबस्ती हेतु तत्समय प्रवृत्त विभागीय संकल्प/दिशा निर्देश के आलोक में भूमि के मूल्य गणना करते हुए ESL से समन्वय स्थापित कर उक्त राशि सरकारी कोषागार में जमा करने की कृपा की जाय तथा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वस्रभजन

(उदय प्रताप)

सरकार के अपर सचिव